



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(व्याणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन
एन.एच. बाईपास
पो.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पो.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

2

सं.एमकेटी-एसटीएस/0011/2017-18

दिनांक: 20/12/2017

परिपत्र

विषय : तिमाही निर्यात विवरणियाँ प्रस्तुत करना बाबत

स्पाइसेस बोर्ड(निर्यातकों का पंजीकरण)विनियम,1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए मसालों के निर्यातकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र(सी आर ई एस) अनुदत्त किए जाने के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, मसालों के प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को तिमाही आधार पर अनुवर्ती तिमाही के प्रथम महीने के 10 वें दिन से पूर्व निर्यात/आयात विवरणियाँ फॉर्म बी, बी1 और बी2 में स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए।

साथ ही,यदि कोई निर्यात/खरीद/आयात नहीं है तो, इस संबंध में एक "शून्य" विवरणी संबंधित तिमाही/अवधि के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अब, यह बात सभी निर्यातकों के ध्यान में लाई जाती है कि वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18(अप्रैल-सितंबर)के लिए सभी लंबित तिमाही विवरणियाँ 31 जनवरी 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि सी आर ई एस का नवीकरण सभी लंबित तिमाही विवरणियों की प्रस्तुति के अधीन किया जाएगा। प्रस्तुत करने हेतु इ-मेल आई डी : tis.sb-ker@gov.in

निदेशक (विपणन)

सभी पंजीकृत निर्यातक